आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 137/2024 (रिव्यु प्रार्थना पत्र)

1. मैसर्स मोरानी कार्स प्रा. लि. जरिये निदेशक लाल चन्द मोरानी पुत्र श्री नानक राम मोरानी पंजीकृत कार्यालय प्लाट नम्बर 5, सीता बाडी के सामने, टोंक रोड, जयपुर ।
2. मोरानी मोटर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक लाल चन्द मोरानी पुत्र श्री नानक राम मोरानी पंजीकृत कार्यालय प्लाट नम्बर 4, सीता बाडी के सामने टोंक रोड, जयपुर ।
3. श्री एल.सी. मोरानी पुत्र श्री नानक राम मोरानी मैनेजिंग डायरेक्टर मोरानी कार्स प्रा. लि. 14 बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के सामने, बाजाज नगर, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

एच डी एफ सी बैंक लि. पंजीकृत कार्यालय बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम) मुम्बई एवं शाखा कार्यालय एच डी एफ सी बैंक लि. 414–417, हवा महल रोड, सुभाष चौक, जयपुर राजस्थान

अप्रार्थी बैंक

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. विरूद्व आदेश दिनांक 09.01.2024 प्रकरण संख्या 770/2023 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी एच डी एफ सी बैंक लि. बनाम मोरानी कार्स प्रा. लि.

उपस्थितः–

1. श्री रामगोपाल शर्मा एवं श्रीमती हेमलता अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्रीमती सुरूची कासलीवाल मुल्तानी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

दिनांक 14.03.2024

आदेश

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 770/2023 ब उनवानी एच डी एफ सी बैंक लि. बनाम मोरानी कार्स प्रा. लि. (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002) में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 को रिव्यू किये जाने का अनुरोध किया है।
2. रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति अप्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने को सूचित किया गया । अप्रार्थी बैंक की ओर से श्रीमती सुरूची कासलीवाल मुल्तानी अधिवक्ता उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पुनरावलोकनकर्ता द्वारा माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष एक सिक्योरिटाईजेशन प्रार्थना

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्र संख्या 309/2020 शीर्षकीय मोरानी मोटर्स प्रा. लि. व अन्य बनाम एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक बैंक द्वारा सरफेशी एक्ट 2002 के तहत बनाया सम्पत्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाहियों को स्थगित करने व बैंक को यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया था। माननीन ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना पत्र वर्तमान में भी विचाराधीन है जिसमें जारी स्थगन आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है। अप्रार्थी बैंक को उक्त आदेश की भलीभांति जानकारी है और उस प्रकरण में निरन्तर पैरवी की जा रही है। इसके बावजूद अप्रार्थी बैंक द्वारा उक्त तथ्य को छिपा कर गलत शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर कि इस प्रकरण में किसी न्यायालय से स्थगन नहीं है, मान्य न्यायालय से धारा 14 के तहत दिनांक 09.01.2024 आदेश पारित करवा लिये जो विधि सम्मत नहीं है। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (1) SA No. 70/2022, M/S CHANDRAUDAI OUTOMBILES VS HDFC BANK ORDER DATED 11-3-2022, (2) (2000) 3 SCC 561 UIIC LTD. VS RAJENDRA SINGH & ORS. (3) (2023), 1 SCC 675, R.D.JAIN & COMPANY VS CAPITAL FIRST LTD., OR (2) SUPREME COURT SLP(C)34892/2014 AMIT KUMAR DAS VS SHRIMATI HUTHEESINGH TAGORE CHARITABLE TRUST. DATE 3-01-2024 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इस कारण से उक्त विवेचित आदेश को पुनर्विलोकन किया जाकर अपास्त किये जाने एवं मान्य न्यायालय के समक्ष झूंठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर धारा 340 व 195 के तहत कार्यवाही करते हुये धारा 191 1982, 193, 196, 1999, 200 209 भा. द. सं. के तहत प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्व प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया है धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये आदेश 09.01.2024 को रिव्यु किया जाकर अपास्त किये जाने की अधिकारिता मान्य न्यायालय को नहीं है। इस सम्बन्ध में Hon"ble Supreme Court in the matter of Naresh Kumar V/s Government (NTPC OF DELHI) Report as (2019) 9 SCC 416. अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि NKGSB Cooperativ Bank Limited V/s Subir Chakravarthy, Hon'ble Supreme Court ने कहा है कि धारा 14 के तहत कार्यवाही किये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व मैट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट को एडमिनिस्ट्रेटिव व मिनिस्ट्रीयल पावर है, न्यायिक पावर नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र धारा 114 सी पी सी सपठित धारा 47 नियम 1 सीपीसी के प्रावधान का हवाला देते हुये पेश किया गया है। इसके संबंध में सरफेशी अधिनियम की धारा 35 स्पष्ट है। " Sec. 35 – The Provisions of this Act to override other laws". रिव्यु प्रार्थना पत्र के समर्थन में श्री लाल चन्द मोरानी ने स्वयं को डायरेक्टर मैसर्स मोरानी कार्स प्रा. लि. की हैसियत शपथ पत्र पेश किया है जो कि मोरानी मोटर्स प्रा. लि. के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसी कोई अथोरिटी की अनुपस्थिति में प्रस्तुत डिफेक्टिव रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के योग्य है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र व धारा 340 का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. जिला मजिस्ट्रेट व मैट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत की जाने वाली कार्यवाही को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक व मिनीस्ट्रीयल माना है न्यायिक नहीं। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को सुनवाई करने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रति व प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक शपथ पत्र प्राप्त कर आलौच्य आदेश दिनांक 09.01.2024 को पारित किया गया है। धारा 14 के तहत पारित आदेश में लिपिकीय त्रुटि के अलावा सम्पूर्ण आदेश को रिव्यु किये जाने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। धारा 17 के तहत माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष अपील किये जाने का प्रावधान है। चूंकि पक्षकारान के मध्य माननीय ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष मामला विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण ने स्थगन आदेश होना बताया है। यदि प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन आदेश है और आगे भी यदि कोई आदेश माननीय वसूली अधिकरण द्वारा दिया जाता है, तो उसकी पालना संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा की जानी है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनाकं 09.01.2024 में किसी प्रकार के पुनर्विचार एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा न्यायालय द्वारा अप्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्व धारा 340 सीपीसी की कार्यवाही किये जाने का कोई उचित कारण नहीं पाया गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 340 सीपीसी खारिज किया जाता है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो ।

9. आदेश आज दिनांक **14.03.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर